संख्या- 9/2024/09रा0पा0/2024-25-4099/8/2021

प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (गोपन) अनुभाग-7 लखनऊः दिनॉक 09-08-2024

विषय- मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के अपर विधि परामर्शी के आस्थगित स्थायी पद को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-जी-449/सा-1-13-जी0एस0/2022, दिनॉक 29 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किगृह (गोपन) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10रा0/23-7/8/83-सी0एक्स0-4, दिनॉक 06 मार्च, 2023 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0के अपर विधि परामर्शी (वेतनमान इण्ट्री लेवल रू0-51550-1230-58930-1380-63070) (पुनरीक्षित वेतनमान रू0-144840-194660)स्थायी पद को आस्थगित रखते हुए विशेष कार्याधिकारी (विधि) का एक नि:संवर्गीय अस्थायी पद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का (वेतनमान इण्ट्री लेवल रू0-51550-1230-58930-1380-63070) दिनॉक 29.02.2024 तक की अवधि के लिए सृजित किया गया था। विशेष कार्याधिकारी (विधि) का पद स्वत: समाप्त हो जाने तथा राज्यपाल सचिवालय द्वारा की अपेक्षा के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अपर विधि परामर्शी के उक्त आस्थगित स्थायी पद को पुनर्जीवित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E12-126-X2024-25, दिनॉक **07.08.2024** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह0/

(**डा0 अनिल कुमार सिंह**)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- कोषाधिकारी, राजभवन कोषागार, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (सामन्य) अनुभाग-1/2/3, उ0प्र0 शासन।
8- कार्मिक अनुभाग-1
9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/

(**वेद प्रकाश द्विवेदी**)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in